न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 20 सन 2019

अनवान :–

1. राजेराम पुत्र नानक जाति मेधवंशी निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. शेराराम पुत्र नानक जाति मेधवंशी निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 06/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 31/27 के खसरा न0 84 की 14.8830हैक्ट भूमि मुश्तरका खाते में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की अपने भाई मोहन व हंसराज के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है।

प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेराम पुत्र नानक जाति मेधवंशी साकिन ललानाबास श्योपुरा है किन्तु सहवन से प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालू पूत्र नानक दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम शेराराम पुत्र नानक जाति मेधंवशी साकिन ललानाबास श्योपरुा है किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में हिरा पुत्र नानक दर्ज हो गया है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थीगण को कठिनाई का सामाना करना पडता है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में नाम सही तौर से दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 31/27 के खसरा न0 84 की 14.8830हैक्ट भूमि मुश्तरका खाते प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालु पुत्र नानक के स्थान पर राजेराम पुत्र नानक एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम हीरा पुत्र नानक के स्था पर शेराराम पुत्र नानक संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से पैरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर निवेदन किया की प्रार्थी को नाम सही तौर से दर्ज है एवं प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 31/27 के खसरा न0 84 की 14.8830हैक्ट भूमि मुश्तरका खाते में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की अपने भाई मोहन व हंसराज के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज है।

प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेराम पुत्र नानक जाति मेधवंशी साकिन ललानाबास श्योपुरा है किन्तु सहवन से प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालू पूत्र नानक दर्ज है इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 का सही नाम शेराराम पुत्र नानक जाति मेधंवशी साकिन ललानाबास श्योपरुा है किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में हिरा पुत्र नानक दर्ज हो गया है।

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थीगण को कठिनाई का सामाना करना पडता है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में नाम सही तौर से दर्ज है केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी को नाम सही तौर से दर्ज है एवं प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालु पुत्र नानक एव प्रार्थी संख्या 2 का नाम हीरा पुत्र नानक दर्ज है प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी संख्या 1 का सही नाम राजेराम एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम शेराराम है अपने कथनों के समर्थन प्रार्थीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा वाद भूमि की प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थीगण का नाम राजीया एवं शेरीया दर्ज है एवं अन्य दस्तावेजात राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक ललाना , मतदाता पहचान पत्र मतदाता सूची ग्राम ललानाबास श्योपुरा भारतीय स्टेट बैक की पास बुक सभी दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम राजेराम पुत्र नानक एवं शेराराम पुत्र नानक दर्ज है अर्थात प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य में सही नाम अंकित है उक्त दस्तावेजात के अनुसार भी प्रार्थीगण का नाम राजेराम एवं शेराराम पुत्र नानक होना प्रतित होता है।

ग्राम पंचायत ललानाबास श्योपुरा के संरपंच की तस्दीक के अनुसार प्रार्थी का सही नाम राजेराम पुत्र नानक एवं शेराराम पुत्र नानक होना प्रमाणित किया गया है पेरोकार राज के द्वारा भी साक्ष्य सबुतों के आधार पर निस्तारण करने का निवेदन किया गया है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम संशोधन किया जाता है तो राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है राज्य पक्ष को किसी प्रकार की हानी नही होती है।अर्थात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है

अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत सिरगसर के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 31/27 के खसरा न0 84 की 14.8830हैव भूमि मुश्तरका खाते प्रार्थी संख्या 1 का नाम कालु पुत्र नानक के स्थान पर राजेराम उर्फ कालू पुत्र नानक एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम हीरा पुत्र नानक के स्थानपर शेराराम उर्फ हीरा पुत्र नानक संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 6/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

(राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)